

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 00618/2024

राजेन्द्र प्रसाद बैरवा

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, सूचना एवं तकनीकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप संभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग, मालपुरा, टोंक।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024  
आदेश की दिनांक : 01.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)  
शुचि शर्मा, सदस्य

## आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में सूचना सहायक के पद पर सूचना एवं तकनीकी विभाग, एस.डी.एम. राजस्व विभाग, मालपुरा टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान स्थान से उप संभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग, छिपाबरोड, बांरा में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान स्थान से 320 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के पिता कैंसर से पीड़ित है। जिनका लगातार इलाज चल रहा है। अपीलार्थी के परिवार में उनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं देखभाल के लिए नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष 5 महीने की अल्प अवधि के भीतर ही कर दिया गया है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया,

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) को निरस्त किया

जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर सूचना सहायक के पद पर सूचना एवं तकनीकी विभाग, एस.डी.एम. राजस्व विभाग, मालपुरा टोंक में कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी तीन सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य(न्यायिक)